**प्रेस विज्ञप्ति**

**राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा प्रवेश परीक्षा (UG) - 2020**

**दिनांक: 20.10.2020**

**माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत, के निर्देश के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय** के अनुमोदन पर **नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA)** ने **13 सितंबर, 2020 और 14 अक्टूबर, 2020 (COVID-19 मामलों) को 155 शहरों के 3862 केंद्रों और 110 शहरों और 110 केंद्रों** पर पूरे देश में **राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (UG) - 2020** को आयोजित किया।

**NTA ने 16.10.2020 को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (UG) - 2020 का परिणाम घोषित किया।**

उम्मीदवार और उनके माता-पिता ने निम्नलिखित मुद्दों पर ईमेल और मीडिया / सोशल मीडिया के माध्यम से एनटीए से संपर्क करना शुरू किया:

- **OMR उत्तरपत्रक को बदला जा रहा है।**
- **स्कोर कार्ड में विविधता 16.10.2020 को घोषित की गई और अब उपलब्ध है।**

एनटीए ने, पूरी जांच के बाद परिणाम घोषित किया है और सभी उम्मीदवारों को आश्वासन दिया है कि एनटीए द्वारा घोषित परिणाम सही है।

हालांकि, सोशल मीडिया के कुछ समाचार चैनलों पर यह खुलासा हुआ है कि कुछ चौंकाने वाले असामाजिक तत्व दावा कर रहे हैं कि एनटीए द्वारा घोषित परिणाम गलत हैं।

उदाहरण के लिए, **मास्टर XYZ (नाम को गुप्त रखा गया है ), 123456789 (क्रमांक को गुप्त रखा गया है)** ने दावा किया है कि उसके 650 अंक हैं जबकि उसने केवल 329 अंक प्राप्त किए हैं। यह कुछ शहरों के स्थानीय समाचार चैनलों पर भी प्रसारित किया जा रहा है। **खबर पूरी तरह से फर्जी, मनगढ़ंत और केवल एकपक्षीय है।** इस फर्जी खबर को प्रसारित करने से पहले न्यूज चैनल को, एनटीए से पुष्टि करनी चाहिए थी।इस मामले में तत्काल, नोएडा, उत्तर प्रदेश में, आईटी अधिनियम के तहत साइबर सुरक्षा सेल में, एनटीए द्वारा शिकायत दर्ज की जा रही है।

इस संदर्भ में, यह स्पष्ट किया गया है कि एनटीए द्वारा सभी वास्तविक शिकायतों पर विचार किया जाएगा। हालांकि, छेड़छाड़ और मनगढ़ंत मामलों को गंभीरता से देखा जाएगा और एनटीए को ऐसे उम्मीदवारों या ऐसे उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य बेईमान दलालों के खिलाफ संबंधित कानून के अनुसार कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाएगा। इसमें उनकी उम्मीदवारी रद्द होना भी शामिल है ।

उम्मीदवारों को उनके ही हित में, एक बार फिर सलाह दी जाती है कि वे किसी भी बेईमान व्यक्ति / एजेंट / प्रवक्ता के बहकावे में न आएं और ना ही उन्हें उनके ओएमआर / परिणाम में किसी भी प्रकार के अवैध बदलाव की अपेक्षा करें, अन्यथा किसी भी / ऐसे सभी व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी **जो नकली समाचार फैलाने और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की छवि और प्रतिष्ठा को खराब करने में शामिल हैं।**

**(डॉ॰ विनीत जोशी)**
**महानिदेशक**